



प्रेस नोट थाना रोजा जनपद शाहजहाँपुर



सरहानीय कार्य दिनांक 19.04.2025

थाना रोजा पुलिस द्वारा गौवध अधि० के अभियोग में वांछित चल रहे अभियुक्तों को किया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर महोदय के निर्देशानुसार, पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 19.04.2025 को मुखबिर की सूचना पर सीतापुर रोड पर टेढ़ी पुलिया के पास से मु०अ०स० 215/2025 धारा 3/5(क)/8 गौवध अधिनियम- 1955 से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त 1. इमरान खान पुत्र सुल्तान खान उम्र करीब 25 वर्ष नि० ग्राम बरनई पोस्ट सरही, थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर हाल नि० ग्राम सैजना, थाना मंझिला, जनपद हरदोई 2. तौसिफ पुत्र हनीफ उम्र करीब 24 वर्ष नि० मो० खुरमुली कस्बा व थाना पिहानी, जनपद हरदोई को समय करीब 11.40 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

- 1 इमरान खान पुत्र सुल्तान खान उम्र करीब 25 वर्ष नि० ग्राम बरनई पोस्ट सरही, थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर हाल नि० ग्राम सैजना, थाना मंझिला, जनपद हरदोई
- 2 तौसिफ पुत्र हनीफ उम्र करीब 24 वर्ष नि० मो० खुरमुली कस्बा व थाना पिहानी, जनपद हरदोई

पंजीकृत अभियोग का विवरण

मु०अ०स० 215/2025 धारा 3/5(क)/8 उत्तर प्रदेश गौवध अधिनियम- 1955

गिरफ्तारी का दिनांक व समय व स्थान

दिनांक 19.04.2025 को समय करीब 11.40 बजे सीतापुर रोड पर टेढ़ी पुलिया के पास से

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार
उ०नि० सुमित कुमार
का० 1497 हरवीर सिंह
का० 2528 दीप नागर